विशेष

1

बच्चों को समझने का करें प्रयास

किरन देवेंद्र*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 ने इस पहलू पर बल दिया था कि विद्यालय बच्चों का स्वागत करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 बच्चों के प्रति भय, चिंता व सदमे से मुक्त कक्षाओं एवं विद्यालयों की हिदायत देता है। लेकिन आए दिन कक्षाओं में बच्चों के पिटने, उन पर अत्याचार होने की घटनाएँ देखने-सुनने को मिलती ही रहती हैं। कक्षा में बात करना, देर से आना, घर का काम न कर पाना इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि उसके लिए बच्चे की पिटाई की जाए। आवश्यकता इस बात की है कि उसे प्यार से विश्वास में लेकर समझाया जाए। बच्चों को प्यार से समझाने पर आपके और बच्चों के बीच विश्वास और दोस्ती का नया रिश्ता शुरू होगा। बच्चे ज़िम्मेदार बन कर दिखाएँगे आपको शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों में व अन्य प्रतिभाओं में तथा सक्षम होंगे बढ़ती हुई दक्षता के साथ।

एन.सी.ई.आर.टी. के महिला अध्ययन विभाग ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफ़ेसर के साथ मिलकर बच्चियों की शिक्षा पर एक अध्ययन किया। मेहरौली के बालिका विद्यालय में पाइलेट स्टडी की गई जिसमें लड़कियाँ कक्षा एक से कक्षा बारहवीं तक पढ़ती थीं। इसी दौरान मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने मुझे सतर्क कर दिया।

प्रिंसिपल ने एक दसवीं कक्षा में पढ़ रही बच्ची की पिटाई की और उसके पिता और हम सबके सामने उसका अपमान किया। बच्ची के पिता बहुत शर्मिंदा हो रहे थे और असहाय भी महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी बच्ची को सभी के सामने पीटना शुरू किया।

मुझे यह सब देखकर मानसिक स्तर पर बहुत कष्ट हुआ। प्रिंसिपल की तो गलती थी ही परंतु पिता भी क्या सही थे? क्या पिता अपनी बच्ची को पिटाई व बेइज़्ज़ती के कहर से बचा नहीं सकते थे? पिता को एक बार हिम्मत ही तो जुटानी थी, अपनी बच्ची का साथ देने के लिए। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। बच्ची के मन में जो कष्ट था, उसके चेहरे पर दिखाई

* प्रोफ़ेसर *और अध्यक्ष*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली-110016

दे रहा था। केवल मैंने प्रिंसिपल और पिता को रोकने का साहस किया। बच्ची की गलती उसके सम्मान के सामने बहुत छोटी थी। वह स्कूल में एक हफ्ते से बिना नहाए आ रही थी। मेरे मन में बार-बार प्रश्न आ रहे थे कि क्या पिता को स्कूल में बुलाना ज़रूरी था? क्या प्रिंसिपल खुद बच्ची को बात करके नहीं समझा सकती थी? कुछ दिनों के बाद ही बच्ची ने स्कूल में आना बंद कर दिया जिसका दुख आज तक है मुझे।

दक्षिणी दिल्ली के एक बड़े केंद्रीय विद्यालय में भी कुछ ऐसा ही अनुभव वर्ष 2011 में हुआ, जबकि 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो चुका था। हम प्रिंसिपल के कमरे में बैठे थे, अचानक बहुत शोर हुआ। उनके दफ्तर में एक शिक्षक व कुछ बच्चे जो कक्षा ग्यारहवीं में पढ़ रहे थे, एक बच्चे को लेकर आए जो कक्षा ग्यारहवीं में ही पढ़ रहा था। प्रिंसिपल ने बच्चे को धमकाया, उस पर चिल्लाए और सच निकलवाने के लिए धमकी पर धमकी दी। आखिर में वे बोले, ''माली के बच्चे हो, झूठ बोलना तुम लोगों की आदत है''। यह बात मुझे इतनी बुरी लगी जिससे सँभल पाना मेरे लिए आज भी कठिन है।

16 जुलाई, 2010 को मैं अपने पति के साथ केलिंगपौंग में थी। हम दोनों को अखबारों में पढ़ कर और लोगों से सुन कर सदमा लगा कि एक आठवीं कक्षा में पढ़ रही बच्ची ने तीस्ता नदी में छलाँग लगा कर अपनी जान दे दी क्योंकि उसकी टीचर उसके माता-पिता को शिकायत लगाती रहती थी कि वह पढ़ाई में अच्छी नहीं है। स्कूल में टीचर से परेशान, घर में पिता की पिटाई व माता के कटाक्षों से तंग आकर उस बच्ची ने जीवन से हार मान ली। कैसा लग रहा है यह पढ़कर? अत्यंत कष्टदायक, है न!

5 मई, 2013 की सुबह सैर करते हुए कुछ बच्चों को कोच से फिटनेस ट्रेनिंग लेते देख मैं इतनी दुखी हुई कि मुझे सैर छोड़कर वहाँ रुकना पड़ा। कोच के हाथ में एक पतली लचीली पेड़ की छड़ी थी जिसे वे थोड़ी-थोड़ी देर में बच्चों के पांवों में ज़ोर से लगा रहे थे और लगातार कहते जा रहे थे ''जो बच्चा आँखें खोलेगा या ठीक से व्यायाम नहीं करेगा उसकी पिटाई होगी''। इन सभी बच्चों की उम्र 10 वर्ष से कम ही थी। पास में खड़े हर उम्र के पुरुष व महिलाएँ खुश होकर यह सब देख रहे थे। जब मैंने ऐतराज़ किया तो सभी को हैरानी हुई और उन्होंने मुझसे ही पूछ लिया ''क्या गलत हो रहा है यहाँ, बच्चों को ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं कोच''।

मैं क्या कहती और कैसे बताती उन्हें जो सुनना ही नहीं चाहते थे कि यह बच्चों के सम्मान के खिलाफ़ है। याद किया मैंने डा. गर्ड मुलर को जो कितनी सहनशीलता और संवेदनशीलता से हर मरीज़ को ट्रेनिंग करवाते हैं। यह उनका तरीका है जिसे हर समय ध्यान में रखते हैं एक्टिवऑर्थो के सभी फिज़ियोथेरेपिस्ट।

जब भी मैं इन हादसों से गुज़रती हूँ, मुझे याद आती है अपने पापा की जिन्होंने अपने

दफ्तर की व्यस्तता के बावजूद मेरे स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर से अपना विरोध ज़ाहिर किया कि टीचर ने मुझ पर हाथ क्यों उठाया। मेरी गलती बहुत छोटी थी जिसे समझा कर टीचर मुझसे वह करवा सकती थी जो मैं नहीं करना चाहती थी। स्कूल की प्रिंसिपल को दफ्तर छोड़ते समय उन्होंने चेतावनी दी कि मेरे साथ ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। मुझे इतनी छोटी उम्र (10 वर्ष की) में यह एहसास हुआ कि पापा मेरी परवाह करते हैं और उन्हें मेरी भावनाओं व आत्मसम्मान की चिंता है। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा व कायम रहा। हर उस बच्चे के माता-पिता को उसके साथ हो रहे अन्याय की चाहे वह स्कूल में हो रहा हो या कहीं और, के विरोध में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि कोई भी बच्चा विवश या मज़बूर महसूस न करे। उसे यह अहसास रहे कि कुछ भी हो जाए उसका साथ देने के लिए उसके माता-पिता हैं। इस तरह हर बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा और बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ हर बच्चा शुरू करेगा अपनी सफलता का सफ़र।

मैं अनेक प्रश्नों के उत्तर खोजती हूँ, अपने सहयोगियों से चर्चा करती हूँ कि आज जबकि शिक्षा के हक का कानून लागू हो चुका है जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि बच्चों को विद्यालयों में भय, चिंता और सदमे से बचाना है, तो क्या ऐसे समय पर भी बच्चे डर-डर कर रहें कक्षाओं, विद्यालयों व घरों में?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 ने इस पहलू पर बल दिया था कि विद्यालय बच्चों का स्वागत करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 बच्चों के प्रति भय, चिंता व सदमे से मुक्त कक्षाओं एवं विद्यालयों की हिदायत देता है। बाल अधिकार परिषद् दिल्ली व अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 2007-08 से बच्चों के लिए कार्य कर रही है। इन सब कोशिशों के बावजूद यदि बच्चे कक्षाओं और विद्यालयों में डरते ही रहे तो कैसे पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे? क्या कारण है कि बच्चों के प्रति यह अत्याचार होता ही रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों के माता-पिता इसे आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। शायद इसलिए कि सब माता-पिता चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर उनके बच्चे पढ़ने में सबसे अच्छे हों और हर समय तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहें। उन्हें या अध्यापकों को बिलकुल भी चिंता नहीं है कि इन बच्चों को खेलने, हँसने और जो उन्हें पसंद है करने के लिए भी समय देना ज़रूरी है। शिक्षक की एक शिकायत पहुँचते ही माता-पिता तैयार रहते हैं घर में बच्चे को सज़ा देने के लिए। यदि माता-पिता बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं तो शिक्षक को अनेक मौके मिलते हैं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जैसे-बेइज़्ज़ती करना, खिल्ली उड़ाना, मारना व पीटना। माता-पिता व शिक्षक अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों कुछ भी करें, कहीं से कोई शिकायत नहीं आएगी। दोनों एक-दूसरे का साथ देंगे बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए। मानसिक या शारीरिक तौर पर बच्चे कितने भी परेशान हों, उनका ख्याल, उनकी चिंता तभी कोई करेगा जब वे पढ़ाई में बेहद

अच्छे और तहज़ीब में भी सबसे अच्छे होंगे। बच्चे बेबस हों, घबराहट में हो, दहशत में जी रहे हों, किसी के पास उनके लिए समय और इच्छा दोनों ही नहीं है। घुट-घुट कर जीते हुए बच्चे आत्महत्या के बारे में सोचते हैं या सच में कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, बदला लेने की भावना के साथ जीते हैं या फिर शिक्षक द्वारा की गई पिटाई के दौरान लगी गहरी चोट के ठीक होने का इंतजार करते हैं, बहरे होकर, हाथ, पैर या गर्दन की हड्डियाँ टूट जाने के साथ अपाहिज होकर जीते हैं। कई बच्चे तो गहरी चोटों और सदमे से बाहर आए बिना ही संघर्ष करते हुए जीवन गँवा बैठे।

आवश्यकता है बच्चों को समझने की। उनके साथ मिलकर उनकी कठिनाईयों को कम करने की। उनके दोस्त बन कर उनकी परेशानियों को दूर करने की। बच्चों पर अपने सपने मत थोपिए बल्कि उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करें। माता-पिता व शिक्षकों का यह सोचना बहुत ज़रूरी है कि यह कैसे संभव हो सकता है कि हर बच्चा हर समय चुप और तमीज़ के दायरे में रहे? कैसे जिए वह बचपन के दिनों को? जब वह हँसना चाहे तो बिना किसी डर के हँसे, उसे मारा-पीटा न जाए, उसे बेइज़्ज़त न किया जाए, उसे गैर ज़िम्मेदार न माना जाए। जब वह खेलना चाहे खेले, उसे पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बच्चों को बड़ा बनाने के प्रयास में उसका बचपन न छिन जाए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कक्षा में बात करना, देर आना, घर का काम न कर पाना इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि उसके लिए उसकी पिटाई की जाए। आवश्यकता इस बात की है कि उसे प्यार से विश्वास में लेकर समझाया जाए। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि आते ही बच्चे आपको वह कर दिखाएँगे जो कभी आपने माता-पिता व शिक्षकों के रूप में सोचा नहीं होगा। चौंका देंगे वह आपको अपनी मेहनत व प्रतिभाओं से। देकर तो देखिए आप इन्हें हिम्मत व विश्वास। आपको अच्छा लगेगा और बच्चों को भी। विश्वास और दोस्ती का नया रिश्ता शुरू होगा आपके और बच्चों के बीच। बच्चे ज़िम्मेदार बन कर दिखाएँगे आपको शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों में व अन्य प्रतिभाओं में, सक्षम होंगे बढ़ती हुई दक्षता के साथ।

❑❑❑